भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 129*

11 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सकों की कमी

*129. श्री नीरज डांगी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेषकर राजस्थान में, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी के कारण चिकित्सा केंद्रों के बंद होने की स्थिति बनी हुई है, यदि हां, तो इन केंद्रों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश भर में आयुर्वेदिक उपचार की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार का आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शन या वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु वैकल्पिक नीति क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 11 मार्च, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 129* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, राजस्थान राज्य सहित देश भर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य सहित देश भर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है, क्योंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 50/30/10 तक बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए विशिष्ट एकल आयुष अस्पतालों के उन्नयन के घटकों में, आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सकों की संविदात्मक तैनाती का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संविदात्मक आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

*****